## <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 560 / 10</u> संस्थापन दिनांक:-02 / 11 / 10 फाईलिंग नं. 233504000242010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

संजू पिता फुंदू मोहबे उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम अंधारिया, थाना आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

## <u>-: (निर्णय):-</u>

## (आज दिनांक 22.06.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337 (दो काउंट में), 338 भा०दं०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 01.09.2010 को दिन के करीब 12—1 बजे उमिरया जोड़ के पास बैतूल मुलताई रोड नं. एन.एच. 69 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रोड पर मोटर सायिकल क. याम्हा कक्श क. एमपी—48—बी—8164 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर सूचनाकर्ता अमरलाल की मोटर सायिकल को टक्कर मारकर अमरलाल व उसकी पत्नी द्वारकाबाई को गिराकर उपहित कारित की एवं अमरलाल को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 01.09. 2010 को अपनी स्वयं की मोटर सायिकल क. एमपी—48—बीबी—2381 से अपनी पत्नी के साथ पाठाखेड़ा से भिलाई जा रहा था। तभी बैतूल मुलताई के बीच हाईवे रोड एनएच—69 उभारिया जोड़ के पास उभारिया पंखा रोड से एक याम्हा कक्श मोटर सायिकल का चालक दो सीट बैठाकर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दी जिससे उसे दोनों पैर, दोनों हाथ व माथे में चोट आयी तथा उसकी पत्नी द्वारका को दांहिने तरफ कंधा, कमर, पैर में चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार

पर थाना आमला में लाल रंग की मोटर सायकिल याम्हा क्रक्श क. एमपी—48—बी—8164 के चालक के विरूद्ध अपराध क. 263/10 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक याम्हा क्रक्श मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—8164 मय रिजस्ट्रेश की प्रति सहित जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.09.2010 को दिन के करीब 12-1 बजे उमरिया जोड़ के पास बैतूल मुलताई रोड नं. एन.एच. 69 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रोड पर मोटर सायिकल क. याम्हा क्रक्श क. एमपी-48-बी-8164 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटर सायकिल को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर अमरलाल की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर द्व ारकाबाई को गिराकर साधारण उपहति एवं अमरलाल को घोर उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

# ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

## विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 6 अमरलाल (अ.सा.—1) एवं द्वारकाबाई (अ.सा.—2) ने न्यायालीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वे मोटर सायकिल से मुलताई तरफ जा रहे थे। तभी सामने से एक मोटर सायकिल तेजी से आयी, उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मारा जिससे अमरलाल का पैर फेक्चर हो गया और द्वारकाबाई के पैर, हाथ और शरीर के सीधे भाग में चोट आयी थी।
- 7 मैरी पापड़े (अ.सा.—7) ने वर्ष 2007 से पाढर अस्पताल में मेडिकल रिकार्ड आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉ. धोतुप ताशी के हस्ताक्षर एवं हस्तलिप से परिचित होना बताते हुए दिनांक 01.09.2010 डॉ. धोतुप तांशी के पाढर अस्पताल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उनके द्वारा आहत अमरलाल का परीक्षण किये जाने पर आहत के सीधे पाव में घुटने के नीचे टीबिया में 3 गुणा 1 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव, चेहरे पर नीचे ठुड्ढी के उल्टे तरफ 1 गुणा 2 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव एवं माथे पर सीधे तरफ 1 गुणा 2 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि डॉ. धोतुप ताशी के द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी—9) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।
- 8 डॉ. नितिन राठी (अ.सा.—8) ने दिनांक 01.09.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत अमरलाल का चिकित्सकीय परीक्षण करना बताते हुए परीक्षण में आहत की बांयी आईब्रो की बाहर एवं उपर की तरफ 2 गुणा 1 सेमी. एवं बांयी आईब्रो पर 4 गुणा 1 सेमी., जबड़े पर बांयी तरफ 4 गुणा 1 सेमी., दांहिने पैर पर घुटने के ठीक नीचे 2 गुणा 1 सेमी., बांये हाथ पर 1 गुणा 1 सेमी., आकार का कटा फटा घाव एवं दांहिने पैर एवं बांये घुटने पर घसड़ा पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत द्वारका बाई के परीक्षण पर आहत की दांहिनी कोहनी एवं अग्रभुजा पर 8 गुणा 4 सेमी, दोनों घुटनों पर 2 गुणा 2 सेमी. आकार का घसड़ा एवं आहत की पीठ में दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी—10 एवं प्रदर्श पी—11 को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी एवं मैरी पापड़े (अ.सा.—7) तथा साक्षी अमरलाल (अ.सा.—1) एवं द्वारका (अ.सा.—2) की साक्ष्य से फरियादी अमरलाल एवं आहत द्वारकाबाई को चोट आये के तथ्य की संपृष्टि होती है।
- 9 कुवरसिंह ठाकुर (अ.सा.—6) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 22. 09.2010 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लेख कराये जाने पर मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—8164 के चालक के विरूद्ध अपराध क. 263/10 में प्रदर्श पी—1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करना एवं उक्त दिनांक को घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तथा दिनांक 02.10.2010 को अभियुक्त से याम्हा कक्श

मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—8164 को मय रजिस्ट्रेशन के जप्त किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

प्रकरण में साक्षी राजेश (अ.सा.-4) एवं संजू (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। शिवजी (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से एक मोटर सायकिल याम्हा क्रक्श जप्त की थी और उसे गिरफतार किया था। जप्ती एवं गिरफ़तारी प्रपत्र कमशः प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर भी हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने अभियुक्त से जप्त की जाने वाली मोटर सायकिल का नंबर एमपी-48-बी-8164 होना बताया है परंतू प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में हस्ताक्षर पुलिस के कहने में थाने में कर दिये थे और जब हस्ताक्षर किये थे तब अभियुक्त उपस्थित भी नहीं था और उसे यह भी नहीं बताया गया था कि किस कागज पर उसके हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं। इस प्रकार साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है इसलिए साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 प्रकरण में साक्षी अमरलाल (अ.सा.—1) एवं द्वारकाबाई (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उनकी साक्ष्य से देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को वाहन अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या लापरवाही से चलाया जा रहा था। इस संबंध में अमरलाल (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह मोटर सायिकल से मुलताई की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी द्वारकाबाई मोटर सायिकल में पीछे बैठी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि सामने से एक मोटर सायिकल बहुत तेजी से आयी और उसकी मोटर सायिकल में टक्कर मार दिया था। द्वारकाबाई (अ.सा.—2) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि उनकी मोटर सायिकल को सामने से एक मोटर सायिकल ने टक्कर मार दी थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दोनों सािक्षयों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी सािक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जिस मोटर सायिकल ने टक्कर मारी थी उसके चालक ने नाम संजू बताया था। सािक्षीगण ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि टक्कर मारने वाली मोटर सायिकल लाल रंग की थी और उसका नंबर एमपी—48—बी—8164 था।

- 12 अमरलाल (अ.सा.—1) एवं द्वारकाबाई (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उनकी मोटर सायकिल में किसने टक्कर मारी थी उसकी जानकारी उन्हें नहीं है और आज दिनांक तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसने उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मारा था। अमरलाल (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि वह टक्कर लगने के बाद तुरंत बेहोश हो गया था इसलिए उसे नहीं पता कि उसे टक्कर कैसे लगी थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त के विरूद्ध कोई रिपोर्ट लेख नहीं करायी थी। द्वारकाबाई (अ.सा.—2) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह मोटर सायकिल में पीछे बैठी थी इसलिए उसे नहीं पता कि टक्कर कैसे लगी थी।
- 13 प्रकरण में फरियादी अमरलाल (अ.सा.—1) एवं आहत द्वारकाबाई (अ.सा.—2) के कथनों से यह प्रकट नहीं हुआ है कि घटना दिनांक को उनकी मोटर सायकिल को जिस मोटर सायकिल के चालक ने टक्कर मारी थी वह मोटर सायकिल अभियुक्त ही चला रहा था। साथ ही यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—8164 के चालक ने फरियादी की मोटर सायकिल में टक्कर मारी थी। साथ ही अभिलेख पर वाहन के उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फरियादी अमरलाल ने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराये जाने से भी इनकार किया है। साक्षी ने टक्कर मारने वाले वाहन का नंबर भी बताये जाने में असमर्थता व्यक्त की है। उपर्युक्त परिस्थिति संपूर्ण अभियोजन कथा को संदेहास्पद कर देती है। जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 14 प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि घटना दिनांक को मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—8164 को अभियुक्त संजू के द्वारा चलाया जा रहा था। साथ ही घटना दिनांक 01.09.2010 की है तथा अभियुक्त से वाहन की जप्ती दिनांक 02.10.2010 को करीब एक माह पश्चात हुई है। तब ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा उपर्युक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमे के चलाया गया था।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

15 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायिकल क. याम्हा कक्श क. एमपी—48—बी—8164 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर सूचनाकर्ता अमरलाल की मोटर सायिकल को टक्कर मारकर द्वारकाबाई को गिराकर साधारण उपहति कारित की एवं अमरलाल को घोर

उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया। फलतः अभियुक्त संजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 16 प्रकरण में जप्तशुदा याम्हा क्रक्श मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—8164 मय रिजस्ट्रेशन के शिवजी पिता चिरोंजीलाल, निवासी रतेड़ाकला, थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)